पत्र संख्या–11/आ02–आ.नी.–i–03/2013 सा.प्र. 13525
बिहार सरकार
<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

प्रेषक,

अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

<u>सभी प्रधान सचिव/सचिव</u>
<u>सभी प्रमण्डलीय आयुक्त</u>
<u>सभी जिला पदाधिकारी</u>
<u>सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना</u>
<u>सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना</u>
<u>परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना</u>
<u>सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना</u>

पटना–15, दिनांक–19.08.2013

विषय :– " पिछड़े वर्गों की महिलाएँ " संबंधी स्पष्टीकरण।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण के संदर्भ में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 11, 1993) द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में "पिछड़े वर्गों की महिलाएँ" के लिए प्रावधान किया गया है। वर्तमान में बिहार अधिनियम–17/2002 द्वारा "पिछड़े वर्गों की महिलाएँ" को नियुक्ति में 03 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है।

"पिछड़े वर्गों की महिलाएँ" के संदर्भ में पृच्छाएँ होती रहती हैं। अतः इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि–बिहार अधिनियम 11/93 की धारा–2 (v) (ट) के अनुसार–

" (ट) पिछड़े वर्ग की महिलाओं से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अत्यन्त पिछड़े वर्ग तथा पिछड़े वर्गों की महिलाएँ।"

अतएव उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार सभी समुचित कार्रवाइयाँ करें ।

विश्वासभाजन
ह0/–
(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ.नी.–i–03/2013 सा.प्र. 13525 पटना–15, दिनांक–19.08.2013

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त के प्रधान सचिव, पुराना सचिवालय भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।